न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 185/2024 निर्णय दिनांक 24.12.2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/387

गणेशाराम पुत्र श्रीराम जाति जाट निवारी मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. रामप्यारीदेवी पत्नी बुधाराम 2. गोपाल पुत्र बुधाराम 3. खेताराम पुत्र बुधाराम 4. राजेन्द्र पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर 5. सुमा पुत्री बुधाराम पत्नी बजरंगलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट गोदारा निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 6. कान्ता पुत्री बुधाराम पत्नी बाबुलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कालुबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. श्री ओमप्रकाश जाणी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से वादपत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश हैं कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जो गांव मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर के निवासी हैं तथा प्रतिवादीगण, वादी के सगे भाई के वारिस है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 कि संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर पुराना 65 रकबा 18.1100 हैक्टेयर रोही ग्राम सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा हैं जिसमें पारिवारिक मौखिक विभाजन अनुसार 1/2 हिस्सा वादी के हिस्सा पांति मे आया हुआ हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर पुराना 65 के पूर्वी दिशा की 1/2 हिस्सा पर वादी एवं पश्चिमी दिशा की 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर पुराना 65 रकबा 18.1100 हैक्टेयर रोही सुडसर बाबत् एक दावा घोषणा एवं विभाजन का न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 13.09.2011 को पेश किया गया एवं उसी दिन न्यायालय हाजा द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को खेत खसरा नम्बर 65 का खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री पारित कर दी गयी। उक्त डिक्री अनुसार वादगत खेत खसरा नम्बर 65 पुराना के पूर्वी दिशा की 9.055 हैक्टेयर भूमि वादी को एवं पश्चिम दिशा की 9.055 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को खातेदार घोषित कर मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन कर नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये गये थे। उक्त न्यायालय आदेश की पालना करते समय पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर पुराना 65 मे से खसरा नम्बर 605/65 मी. रकबा 8.50 हैक्टेयर वादी के नाम एवं खसरा नम्बर 604/65 मी. रकबा 9.56 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मुताबिक डिक्री 9.0550 हैक्टेयर वादी नाम एवं 9.0550 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार वादी के हिस्सा में 0.505 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज हो गया जिसको वादी दावा के माध्यम से घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी को हिस्सा पांति के खसरा नम्बर 605/65 में 0.505 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज होने की जानकारी तब हुई जब [illegible] माह मई 2024 को अपना खेत सोलर पॉवर कम्पनी को लीज पर दिया तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से सम्पर्क कर वादगत रकबा में उनके नाम दर्ज [illegible] हैक्टेयर भूमि को अपने (वादी के) नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

करवाने के लिए कहा तो एक बार तो प्रतिवादीगण सहमत हो गये परन्तू दिनांक 03.09.2024 को प्रतिवादीगण ने अधिक दर्ज भूमि वापिस नाम करवाने से इन्कार करते हुए स्पष्ट रूप से धमकी देते हुए कहा कि हम आपके नाम कोई भूमि नही करवायेगें तथा हमारे नाम दर्ज भूमि को सोलर पॉवर कम्पनी को लीज पर देगें। यही वादकारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल हैं एवं वादगत खेत का खातेदार होने से वादाधार प्राप्त है। जैसा कि धमकी दी हैं प्रतिवादीगण अपनी गलत मंशा में सफल हो गये तो वादी को अहम नुकसान होगा इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया हैं कि वो खेत खसरा नम्बर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर में दर्ज वादी कि 0.505 हैक्टेयर भूमि बाबत् ऐसा कोई कृत्य नही करे ना ही किसी से करावे जिससे कि वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन हो। वादी के पास उक्त दावा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा हैं। रिकार्ड दुरूस्ती के जरिये भी वादी मुल खसरा नम्बर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर रोही सुडसर मे से 0.505 हैक्टेयर भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का कानूनी नोटिस देने का प्रावधान हैं परन्तू वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का हैं। अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया गया तो प्रतिवादीगण अपने गलत मंशा में सफल हो जावेगें और वादी को अहम नुकसान होगा इसलिए दावा धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छुट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि ग्राम सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से दावा न्यायालय श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा हर प्रकार से अन्दर मियांद एवं उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वादी दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावें –

(क) घोषित किया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी के हिस्सा की 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि अधिक दर्ज हैं जिसके खातेदारी अधिकार की घोषणा वादी के नाम की जाकर उक्त 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि को वादी के खेत खसरा नम्बर 605/65 रकबा 8.50 हैक्टेयर रोही सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 7 को दिया जावें ।

(ख) यह हैं कि प्रतिवादीगण को जरिए चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावें कि वे वादगत खेत खसरा नम्बर 604/65 रोही ग्राम सुडसर के गलत दर्ज रकबा 9.5600 हैक्टेयर का दुरूपयोग कर कृषि भूमि को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक, फर्म आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, लीज आदि नही करें और वादगत खेत में वादी के हिस्सा की 0.505 हैक्टेयर भूमि में दखलअन्दाजी नही करे, ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करें ना ही किसी अन्य से करवायें जिससे वादी के कानूनी हितो पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रतिवादी संख्या 7 को पाबन्द किया जावें कि वह वादगत कृषि भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) यह हैं कि दावा का हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें ।

(घ) यह हैं कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:04 IST
Reason: SelfAttested

गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा/सहमति से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम सूडसर के खेत खसरा नंबर पुराना 65 रकबा 18.1100 हैक्टेयर जिनके नया खसरा नंबर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर व खसरा नंबर 605/65 तादादी 8.50 हैक्टेयर के संबंध में न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2011 में संशोधन किया जाकर प्रतिवादी के वादगत खेत खसरा नम्बर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी के हिस्सा की 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि जो अधिक दर्ज हैं जिसके खातेदारी अधिकार की घोषणा वादी के नाम की जाकर उक्त 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि को वादी के खेत खसरा नम्बर 605/65 रकबा 8.50 हैक्टेयर रोही सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उमा मित्तल
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

गिरधारीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. रामप्यारीदेवी पत्नी बुधाराम 2. गोपाल पुत्र बुधाराम 3. खेताराम पुत्र बुधाराम 4. राजेन्द्र पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी मुण्डसर तहसील व जिला बीकानेर 5. सुमा पुत्री बुधाराम पत्नी बजरंगलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट गोदारा निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 6. कान्ता पुत्री बुधाराम पत्नी बाबुलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कालुबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 185/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 24.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत मिनजानिब मुदई व ओमप्रकाश जाणी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि रोही ग्राम सूडसर के खेत खसरा नंबर पुराना 65 रकबा 18.1100 हैक्टेयर जिनके नया खसरा नंबर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर व खसरा नंबर 605/65 तादादी 8.50 हैक्टेयर के संबंध में न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2011 में संशोधन किया जाकर प्रतिवादी के वादगत खेत खसरा नम्बर 604/65 रकबा 9.5600 हैक्टेयर रोही ग्राम सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी के हिस्सा की 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि जो अधिक दर्ज हैं जिसके खातेदारी अधिकार की घोषणा वादी के नाम की जाकर उक्त 0.505 हैक्टेयर कृषि भूमि को वादी के खेत खसरा नम्बर 605/65 रकबा 8.50 हैक्टेयर रोही सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)